स्टेट बनाम हवाकंवर आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/8/2024	पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादीगण स्वयं व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को आवाज लगाई गई फिर भी उपस्थित नहीं होने की सूरत में प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 195, 304/193 की 10.775 है. भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादीगण को कृषि कार्य हेतु दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से जिप्सम खनन किया जा रहा है। अतः वादी वादी डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा लाखेरां के ख.नं. 195, 304/193 की 10.775 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 28/8/2024 को सुनाया गया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 22/2018 अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ।

बनाम

हवाकंवर, बलमकंवर पुत्रीयां चन्द्रसिंह, इन्द्रसिंह, रूघवीरसिंह पि. चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी लाखेरा तहसील पल्लू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– पेरोकार राज–वादी

निर्णय दिनांक– 28/8/2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा लाखेरां के ख.नं. 195, 304/193 की 10.775 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/8/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner